न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 39/2007/223 आर टी ए

सहदेव पुत्र भादर जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. गोपालदास पुत्र सन्तदास जाति स्वामी निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मलूराम पुत्र सन्तदास जाति स्वामी निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. मु0 शांति पत्नि रूपदास जाति स्वामी निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–––असल रेस्पो0

4. मु0 शांति बेवा भादरराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. बीरूराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
6. बलराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
7. मु0 कौशल्या पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
8. मु0 हरदेई पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
9. इन्द्रा पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
10. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

–––तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 05.06.03 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर

प्र0सं0 121/2001 अनवानी गोपालदास आदि बनाम शांति आदि

उपस्थित :–

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट

श्री इन्द्रसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3

श्री सुरेश कुमार नेहरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 ता 9

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10

निर्णय दिनांकः–08.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी गोपालदास ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर रोही मौजा डूमासर के

साबिक खसरा नं. 70 मिन की 65.10 बीघा भूमि गोपालदास, रूपराम व पूर्णदास वल्द भगवानदास की दिनांक 27.07.67 की खरीदशुदा भूमि है। पूर्णदास से उसके हिस्से की भूमि वादीगण ने दिनांक 18.05.77 को जरिये बैयनामा खरीद कर ली व रूपदास ने भी अपने हिस्से कीभूमि वादी सं. 2 दलूराम को बैय कर बैयनामा तस्दीक करा दिया। वरवक्त पैमाईश साबिका सं. 70 की 65.10 बीघा के नये खसरा नं. 385 की 1.03, 386 की 23, 391 की 29.10, 385 की 10.05 कुल 63.03 बीघा मे परिवर्तित हो गये। पैमाईश विभाग ने खसरा नं. 381 की 10, 386 की 4.05 कुल 14.05 बीघा भूमि मानगिर व कासीगिर के नाम दर्ज कर दी तथा उसके कब्जे की खसरा नं. 385 की 10.05 पूर्वी तरफ की 387 व 391 की चिपती भूमि आराजीराज कर दी तथा भादरराम के नाम आवंटन कर दी। उक्त भूमि ना तो मौका पर खाली और व ना ही आवंटन के उपलब्ध थी। इस प्रकार खसरा नं0 385 की 10 बीघा भूमि पूर्वी तरफ की वादीगण की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की भूमि है जिसे अपने नाम दर्ज करवाने अधिकारी है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा मे प्रतिवादीगण पर सही तामील नही हुई है। अपीलांट वरवक्त वाद नाबालिग था। इसलिये अपीलांट पर उक्त तामील मानकर कार्यवाही एकतरफ दिनांक 13.03.02 की गई है जो कानूनन सम्मत नही है। अपीलांट नाबालिग था इसलिये उसका हक व हिस्सा कम किया गया है। रेस्पो0 ने दावा मे जो भी दस्तावेज व साक्ष्य पेश किये है उससे दावा साबित नही होता है। भादरराम को भूमि आराजीराज होने का भार मुक्त होने पर आवंटन की गई थी इसी समय आवंटन दावा के द्वारा खारिज नही किया जा सकता। आवंटन होना साबित है जिसे दावा के द्वारा निरस्त करने मे विचारण न्यायालय ने कानूनी भूल की

है। विवादित भूमि आज भी अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 ता 9 के कब्जा काश्त मे है। वादीगण डिक्रीदार खसरा नं. 385/2 की 2.592 है0 भूमि पर कब्जा नही है। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 गांव अरडकी के निवासी है तथा स्वयं भूमि काश्त नही करते है। इसलिये उन्हे भूमि की सही स्थिति का पता नही है तथा न ही उन्हे पता है कि उनके कब्जा मे कितनी भूमि है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय जो दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना पारित किया गया है खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे कथन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को उक्त निर्णय का पूर्व मे कोई ज्ञान नही था पटवारी हल्का से दिनांक 25.04.2007 को मिलने से ज्ञान हुआ है। अपील अन्दर मियाद स्वीकार कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रोही मौजा डूमासर के साबिक खसरा नं. 70 मिन की 65.10 बीघा भूमि वादीगण व उसके भाई रूपराम व पूर्णदास वल्द भगवानदास की दिनांक 27.07.67 की खरीदशुदा व कब्जे काश्त की भूमि है। पूर्णदास ने अपने हिस्से की भूमि वादीगण को दिनांक 18.05.77 को बैय कर दी व रूपदास ने अपने हिस्से की भूमि वादी सं. 2 दलूराम को बैय कर बैयनामा तस्दीक करा दिया। वरवक्त पैमाईश साबिका सं. 70 की 65.10 बीघा के नये खसरा नं. 385 की 1.03, 386 की 23, 391 की 29.10, 385 की 10.05 कुल 63.03 बीघा मे परिवर्तित हो गये। पैमाईश विभाग ने खसरा नं. 381 की 10, 386 की 4.05 कुल 14.05 बीघा भूमि मानगिर व कासीगिर के नाम दर्ज कर दी तथा वादीगण के कब्जा काश्त की खसरा नं. 385 की 10.05 पूर्वी तरफ की 387 व 391 की चिपती भूमि आराजीराज कर दी तथा भादरराम के नाम आवंटन कर दी। उक्त भूमि ना तो मौका पर खाली और व ना ही आवंटन के उपलब्ध थी। रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त गलत प्रविष्टि एवं गलत आवंटन को

निरस्त करवाकर उक्त भूमि रेस्पो सं. 1 व 2 के नाम दर्ज करने बाबत अनुतोष चाहा गया। अपीलांट वरवक्त दावा नाबालिग था इस कारण अपीलांट की माता को अपीलांट का संरक्षक बनाया जाकर जरिये कुदरती बली माता अंकित किया गया है तथा वाद की तामील सही पते पर अपीलांट की माता पर करवाई गई जिसके तामील नोटिस पर अपीलांट की माता की अंगुठा निशानी अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रोही मौजा डूमासर की जमाबंदी सम्वत 2029–32 के साबिक खसरा नं. 70 मिन की 65.10 बीघा भूमि गोपालदास, रूपराम व पूर्णदास वल्द भगवानदास के नाम दर्ज थी तथा रेस्पो0 के कथनानुसार उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं पूर्णदास वल्द भगवानदास की दिनांक 27.07.67 को खरीदशुदा भूमि है। पूर्णदास से उसके हिस्से की भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 गोपालदास व दलूराम ने दिनांक 18.05.77 को जरिये बैयनामा खरीद कर ली व रूपदास ने भी अपने हिस्से की भूमि वादी सं. 2 दलूराम को बैय कर बैयनामा तस्दीक करा दिया। वरवक्त पैमाईश साबिका सं. 70 की 65.10 बीघा के नये खसरा नं. 385 की 1.03, 386 की 23, 391 की 29.10, 385 की 10.05 कुल 63.03 बीघा मे परिवर्तित हो गये। पैमाईश विभाग ने खसरा नं. 381 की 10, 386 की 4.05 कुल 14.05 बीघा भूमि मानगिर व कासीगिर के नाम दर्ज कर दी तथा उसके कब्जे की खसरा नं. 385 की 10.05 पूर्वी तरफ की 387 व 391 की चिपती भूमि आराजीराज कर दी तथा भादरराम के नाम आवंटन कर दी। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि जो आराजीराज दर्ज कर अपीलांट के पिता को आवंटन कर दी उसको दुरूस्त करवाकर अपनी नाम घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित न आने के कारण एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण तथा अपील मे वर्णित तथ्य सिद्ध नही होने के कारण अपील अपीलांट को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2003 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ